भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 917

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

917. श्री प्रतापराव जाधवः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 2020 में शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ने विनिर्माण क्षेत्र के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएलआई योजना के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों और विनिर्माण इकाइयों की संख्या तथा निवेश की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पहल के अंतर्गत रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव पीएलआई योजना के दायरे को विस्तारित कर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(च) इस योजना से घरेलू/देशी विनिर्माताओं को किस प्रकार लाभ मिला है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ङ): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यात को बढ़ाने हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

इन 14 क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडियरी और सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ओटोमोबाइल और ऑटो के पुर्जे, (v) फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, (vi) विशिष्ट इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे।

इन पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य, प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता और किफायत सुनिश्चित करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इन स्कीमों में अगले लगभग 5 वर्षों में उत्पादन को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करने, आयात, रोजगार, विनिर्माण कार्यकलापों को बढ़ाने तथा आर्थिक विकास में योगदान देने की क्षमता है। इस प्रकार, इसमें आगे चलकर विनिर्माण इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की क्षमता है।

उचित अनुमोदन के पश्चात संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीमों को दिशानिर्देशों के साथ अधिसूचित किया गया है। ये स्कीमें, इन्हें कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश (दिसंबर 2023 तक) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 8.70 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन/बिक्री हुई है। 3.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 8 क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत लगभग 4,415 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है। पीएलआई स्कीम के तहत पहचान किए गए सभी अनुमोदित क्षेत्र, ऐसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर फोकस करने के व्यापक मानदंडों का पालन करते हैं, जिनमें भारत बढ़त हासिल कर सकता है और रोजगार, निर्यात को कई गुना बढ़ा सकता है तथा अर्थव्यवस्था के लिए समग्र आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इन क्षेत्रों को नीति आयोग द्वारा जांच करने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदित किया गया।

(च) : उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम घरेलू/स्वदेशी विनिर्माताओं को उनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने या टर्नओवर के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए लाभान्वित करती है और इस प्रकार उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन प्रदान करती है। पात्र घरेलू/स्वदेशी निर्माताओं को प्रौद्योगिकीय उन्नयन, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्राप्त होती है। इस स्कीम का उद्देश्य, रोजगार सृजित करना, आर्थिक विकास में योगदान करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। विशिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप बनाई गई यह स्कीम उद्योग-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करती है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है और देश के संपूर्ण औद्योगिक आधार और विनिर्माण इकोसिस्टम को सहायता प्रदान करती है।

*****